



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या- 26414 वर्ष 2026

श्याम सुन्दर पटेल एवं अन्य

.....आवेदक(ओं)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी पक्ष(ओं)

आवेदक(ओं) के अधिवक्ता : आदर्श पराशर, अभिषेक कुमार चौबे

विपक्षी पक्ष(ओं) के अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 66

माननीय न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल

- हमने याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री अभिषेक कुमार चौबे और राज्य के विद्वान ए.जी.ए. श्री भूपेंद्र पाल सिंह की बात सुनी और रिकॉर्ड का अवलोकन किया।
- यह जमानत याचिका मामले संख्या 42/2026, बी.एन.एस. की धारा 85 और 80(2) और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 (पुरानी धारा 498ए और 304 बी आई.पी.सी. और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4) के तहत, पुलिस स्टेशन मेजा, जिला प्रयागराज में, मुकदमे की सुनवाई के दौरान आवेदकों को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ दायर की गई है।
- आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक मृतक के ससुर और सास हैं, जिनकी मृत्यु 25.01.2026 को एक रेल दुर्घटना में हुई थी। घटना वाले दिन लोको पायलट ने अपने उच्च अधिकारियों को सूचित किया था कि सीटी बजाने के बावजूद मृतक गलती से पटरी पर गिर गई और उसकी मृत्यु हो गई। आगे यह भी कहा गया है कि मृतक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट होता है कि यह एक रेल दुर्घटना का मामला है। यह भी कहा गया है कि सामान्य और अस्पष्ट आरोपों के आधार पर आवेदकों को इस मामले में झूठा फंसाया गया है, क्योंकि मृतक ने अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध आवेदकों के पुत्र से विवाह किया था, और इस तथ्य को प्रथम सूचनादाता और मृतक के अन्य परिवार के सदस्यों ने भी स्वीकार किया है।
- यह भी निवेदन किया जाता है कि आवेदकों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। यह भी निवेदन किया जाता है कि इस मामले में आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है, इसलिए हिरासत में पूछताछ की कोई आवश्यकता नहीं है। आवेदक कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं और वे 29.02.2026 से जेल में बंद हैं। यदि उन्हें जमानत दी जाती है, तो वे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेंगे और मुकदमे की कार्यवाही में सहयोग करेंगे।
- इसके विपरीत, विद्वान ए.जी.ए. ने जमानत की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया है, लेकिन उपरोक्त तथ्यों का खंडन नहीं कर सके।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों, पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं की दलीलों, अपराध की प्रकृति, साक्ष्य, अभियुक्तों की संलिप्तता, जेलों में अत्यधिक भीड़ और निचली अदालतों में आपराधिक मामलों के भारी लंबित होने, साथ ही **कपिल वधावन बनाम केंद्रीय जांच ब्यूरो 2025 एससीसी ऑनलाइन एससी 3038** मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले और **माया तिवारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2024 एससीसी ऑनलाइन ऑल 6765** मामले में इस न्यायालय के जमानत देने संबंधी दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए, और मामले की गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मेरा मत है कि आवेदक जमानत पर रिहा होने के पात्र हैं। तदनुसार, यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

7. उपर्युक्त अपराध में संलिप्त आवेदकों- **श्याम सुंदर पटेल और श्रीमती आरती देवी** को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप समान राशि के व्यक्तिगत बांड और दो जमानती प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के साथ जमानत पर रिहा किया जाए:-

- i. आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेंगे ताकि उसे न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।
- ii. आवेदक बिना किसी स्थगन की मांग किए मुकदमे/जांच में ईमानदारी से सहयोग करेंगे।
- iii. जमानत पर रिहा होने के बाद आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे या कोई अपराध नहीं करेंगे।

iv. आवेदकों को उनके द्वारा निष्पादित बांड की शर्तों के अनुसार उपस्थित होना होगा।

8. उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन होने पर जमानत रद्द की जा सकती है।

9. जमानत स्वीकार किए जाने से पहले संबंधित न्यायालय द्वारा आवेदकों और जमानतदारों की पहचान, स्थिति और निवास प्रमाण का सत्यापन किया जाएगा।

10. आवेदकों के साथ-साथ जमानतदारों के मोबाइल नंबर और आधार कार्ड का सत्यापन संबंधित न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए।

11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदकों को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किए गए और संबंधित अधिवक्ता द्वारा सत्यापित इस आदेश की कंप्यूटर जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, साथ ही यह वचन भी दिया जाएगा कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।

12. यह भी निर्देश दिया जाता है कि ट्रायल कोर्ट जमानत आदेश प्रबंधन प्रणाली (बीओएमएस) के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा ताकि आवेदकों की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित हो सके।

13. कार्यालय को निर्देश दिया जाता है कि वह इस आदेश की एक प्रति संबंधित जेल अधीक्षक के माध्यम से ईमेल या ई-जेल पोर्टल पर तथा ट्रायल कोर्ट को ई-मोड के माध्यम से 24 घंटे के भीतर आवेदकों को भेजे, जो कि **जमानत देने की नीति रणनीति, स्वतः संज्ञान रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 4/2021, दिनांक 31.01.2023** को दिए गए निर्णय (2024) 10 एससीसी 685 तथा पीला

पहन/पीला पहन और अन्य बनाम झारखंड राज्य और अन्य, रिट याचिका (आपराधिक) संख्या 169/2025, दिनांक 29.05.2026 को दिए गए निर्णय के अनुपालन में हो।

14. यदि कोई आवेदन हो, तो उसका निपटारा हो चुका है।

6 अगस्त, 2026

(न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल)

Translated Judgment. Not for Legal Use.